यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रमुख वन संरक्षक- परियोजनाएँ, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक- परियोजनाएँ, देहरादून के माह 07/2013 से माह 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री गो वंद कुमार संह सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों एवं श्री एफ़ आर खान, वरिष्ठ संप्रेक्षक द्वारा दिनांक 09.10.2017 से 17.10.2017 तक श्री के0 एल0 भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री वजयेन्द्र प्रताप संह सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 23/07/2013 से 27/07/2013 तक श्री आई के जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें माह 04/2012 से 06/2013 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2013 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः उत्तराखंड में वन वभाग द्वारा संचा लत की जा रही व भन्न परियोजनाओं से संबन्धित नियंत्रण संबंधी कार्य।

(ii) (अ) **राजस्व का विवरण:** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	0.00
2015-16	0.00
2016-17	0.00

(ii) (ब) **बजट** का विवरण

वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)		स्थापना (` लाख में)		गैर स्थापना (` लाख में)	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2013-14	-	-	112.68	104.45	1.30	0.97
2014-15	-	-	122.12	117.17	1.20	0.93
2015-16	-	-	114.04	103.52	2223	2223[1]
2016-17	-	-	113.63	97.70	0.00	0.00

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय
2015-16				
2016-17				

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई सी श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, वन एवं पर्यावरण → प्रमुख वन संरक्षक (एचओएफ़एफ़) → प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएँ।

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में प्रमुख वन संरक्षक- परियोजनाएँ, देहरादून को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रमुख मुख्य वन संरक्षक- परियोजनाएँ, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 01/2015 एवं 03/2016 को वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया ।

राजस्व की जांच हेतु कोई माह चयनित नहीं कया गया क्यों क लेखा परीक्षा अव ध में इकाई का राजस्व शून्य पाया गया।

---

[1] राज्य वन वकास अ भकरण को हस्तांतरित कया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो ----------

का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन .....------ .... के आधार पर कया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

(व्यय)

भाग दो अ

प्रस्तर 01- ग्रीन इंडिया मिशन की धनराशि रुपए `22.23 करोड़ का अवरोधन

'ग्रीन इंडिया मिशन' नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत चिन्हित 8 मिशन में से एक है जिसका उद्देश्य देश के लगातार कम होते जा रहे वन आच्छादन को संरक्षित करना, बढ़ाना तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौती के प्रति सम्यक प्रतिक्रिया देना है। इस मिशन के कार्यान्वयन हेतु 90:10 के अनुपात में भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को धनराशि वहन करनी होती है। मिशन को संचालित करने के लिए राज्यों के वन विकास अभिकरण (**State Forest Development Agency**) को उत्तरदाई बनाया गया था जिनमें मिशन की **implementation guidelines** के अनुसार अपेक्षित सुधार किए जाने थे। उत्तराखंड में इस मिशन को लागू करने के लिए ` 17.17 अरब लागत वाली 10 वर्षीय संदर्श योजना (**PERSEPECTIVE PLAN**) तथा ` 51.96 करोड़ एक वर्षीय कार्य योजना (**Annual Plan of Operation**) भारत सरकार को क्रमशः फरवरी 2014 एवं मई 2015 में प्रेषित किया गया। मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड में 10 वर्ष में 1.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को आच्छादित करना एवं 50 हज़ार परिवारों को मिशन का लाभ पहुंचाया जाना था। वर्ष 2015-16 के लिए यह लक्ष्य क्रमशः 7483 हेक्टेयर को आच्छादित करने एवं 6534 परिवारों तक वैकल्पिक ईंधन के स्रोत उपलब्ध करवाने का था।

प्रमुख वन संरक्षक- परियोजनाएं के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (अक्तूबर 2017) में पाया गया कि भारत सरकार ने जुलाई 2015 में उक्त योजना के पर्सपेक्टिव प्लान एवं वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति देते हुये, वर्ष 2015-16 की प्रस्तावित धनराशि ` 51.96 करोड़ के सापेक्ष, ` 20.209 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार को निर्गत कर दी। भारत सरकार द्वारा धनराशि निर्गत करने के 8 माह पश्चात उक्त राशि में 10 प्रतिशत राज्यांश मिलाते हुए राज्य सरकार ने कुल ` 22.23 करोड़ की धनराशि प्रमुख वन संरक्षक को जारी कर दिया (फरवरी 2016)। तथापि, 'राज्य वन विकास अभिकरण' में अपेक्षित सुधार करके योजना को लागू करने के स्थान पर सम्पूर्ण धनराशि को अभिकरण के खाते में हस्तान्तरित कर दिया गया।

मई 2016 में मिशन के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों पर विचार करने के लिए भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में एक बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 'जिन राज्यों को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य वन विकास अभिकरण के सुधार में अधिक समय लगेगा और तब तक मिशन का कार्य विपरीत रूप से प्रभावित होगा वे राज्य मौजूदा वन विकास अभिकरण के माध्यम से मिशन को संचालित कर सकते हैं'। आगे यह भी कहा गया कि चूंकि यह व्यवस्था मिशन के निर्देशों के अनुसार नहीं है, अतः सचिव एवं मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर प्रथक **advisory** जारी की जा सकती है। उक्त मीटिंग के कार्य वृत्त को जून 2016 में प्रमुख मुख्य वन संरक्षक-परियोजनाएं, उत्तराखंड को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित भी किया गया एवं साथ ही निर्गत धनराशि को वर्ष 2016-17 में व्यय करने हेतु पुनर्वैध भी कर दिया। तथापि विभाग ने, राज्य वन विकास अभिकरण के विषय में स्थिति साफ न होने का हवाला देते हुए, मिशन का कार्यान्वयन प्रारम्भ नहीं किया एवं उक्त धनराशि राज्य वन विकास अभिकरण के खाते में लेखापरीक्षा अवधि तक बेकार ही पड़ी रही। इस प्रकार, ग्रीन इंडिया मिशन की धनराशि `22.23 करोड़ का अवरोधन किया गया जिससे मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति बाधित हुई। वर्तमान में यद्यपि राज्य सरकार ने उपलब्ध धनराशि को वर्ष 2017-18 में व्यय करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी है (सितंबर 2017) तथापि भारत सरकार ने अनुरोध किए जाने के बावजूद भी उपलब्ध राशि को व्यय करने हेतु लेखापरीक्षा तिथि तक पुनर्वैध नहीं किया है।

इस विषय (केंद्रीय सहायता निर्गत होने के 2 वर्ष पश्चात भी मिशन को राज्य में लागू न किए जा सकने के विषय में) में इंगित किए जाने पर प्रमुख वन संरक्षक- परियोजनाएं ने स्वीकार किया कि 'भारत सरकार के स्तर पर महा-निदेशक, वन की अध्यक्षता में हुई बैठक (18.05.16) में निर्णय लिया गया कि फिलहाल प्रदेश में **national afforestation plan** हेतु गठित राज्य वन विकास अभिकरण के माध्यम से ही ग्रीन इंडिया मिशन एवं **national afforestation plan** कार्यक्रमों का प्रथक-प्रथक बैंक खातों से क्रियाशील कर दिया जाए। यह भी निर्णय हुआ कि निकट भविष्य में तब तक कार्यवाही ऐसे ही की जाती रहेगी जब तक कि ग्रीन इंडिया मिशन हेतु भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार नई व्यवस्था को लागू नहीं कर लिया जाता'। इसके अतिरिक्त, मिशन को अबतक कार्यान्वित न किए जाने के कारण के विषय में पूछने पर प्रमुख वन संरक्षक ने बताया कि 'पुराने राज्य वन विकास अभिकरण के माध्यम से ही मिशन को फिलहाल लागू करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा मई 2016 में लिया गया है, ऐसी स्थिति में आपत्ति का कोई औचित्य नहीं है'।

प्रमुख वन संरक्षक के उत्तर से बिलकुल स्पष्ट है कि मिशन का कार्यान्वयन प्रारम्भ करने के विषय में भारत सरकार का दृष्टिकोण मई 2016 से ही स्पष्ट था। ऐसी स्थिति में राज्य वन विकास अभिकरण के विषय में स्थिति साफ न होने का हवाला देकर मिशन का कार्यान्वयन प्रारम्भ नहीं करने से मिशन की `22.23 करोड़ की धनराशि का अवरोधन हुआ जिससे मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति बाधित हुई। साथ ही, भारत सरकार को अनेक स्मारक जारी किए जाने के पश्चात भी उनके द्वारा निर्गत धनराशि को वर्ष 2017-18 में व्यय करने की स्वीकृति न दिये जाने के कारण ` 17.17 अरब लागत वाली 10 वर्षीय योजना पर प्रश्न चिन्ह लग गया है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

(**व्यय**)

भाग दो ब

प्रस्तर 01- ₹ 9.37 करोड़ के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखंड के पत्रांक संख्या क-1068/20-4 दिनांक 16.12.2005 के बिन्दु संख्या 03 के अनुसार समस्त परियोजनाएं मुख्य वन संरक्षको द्वारा अपर प्रमुख वन सरक्षक (परियोजनाएं) को भेजी जाएंगी तथा उनके द्वारा ही उक्त परियोजनाएं राज्य स्तरीय समिति के सम्मुख विचारार्थ रखी जाएगी। राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं वित्त पोषण हेतु प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड वन विकास निगम को भेजी जाएंगी। बिन्दु संख्या 06 (ग) के अनुसार परियोजना की समाप्ति के बाद पूरी धनराशि का ब्योरा मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के निर्धारित प्रारूप (जैसा कि वन निगम द्वारा जारी किया जावेगा) में देना अनिवार्य होगा।

कार्यालय अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्त पोषण धनराशि अवमुक्त की गयी थी। दिनांक 31.01.2017 तक उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा वित्त पोषित मद के अंतर्गत निर्गत धनराशि (वर्ष 2002-03 से लेकर 2016-17 तक) में से ₹ 9.37 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र वन विभाग के कार्यालयो द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गए थे। इसके संबंध में उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाले सभी इकाइयों को पत्र भी लिखा गया (फरवरी 2017) जिसे प्रमुख वन संरक्षक- परियोजनाएँ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

इस विषय में इंगित किए जाने पर प्रमुख वन संरक्षक- परियोजनाएँ द्वारा बताया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र के विषय में उनके कार्यालय की कोई सीधी भूमिका नहीं है एवं लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को निगम को उपलब्ध करवाने हेतु समय-समय पर सभी कार्यालयों को निर्देशित किया जाता रहा है।

प्रमुख वन संरक्षक- परियोजनाएँ के उत्तर से स्पष्ट है कि वह समस्त इकाइयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र निगम को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अभाव में, ₹ 9.37 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र निगम को उपलब्ध नहीं करवाया जा सका।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-**III**

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या

व्यय से संबं धत: वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
43/2013-14	-	01

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य

(2) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने प्रमुख वन संरक्षक- परियोजनाएँ**,** देहरादून तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

2. सतत् अनिय मतताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती वीना शेखरी	प्रमुख वन संरक्षक
(ii)	श्री जय राज	प्रमुख वन संरक्षक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रमुख वन संरक्षक- परियोजनाएँ, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी